



डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांक: १३६१ / फा०सं०-२४०(तृतीय) / कार्यालया० / डा०श०मि०रा०पु०वि० / २०२१-२२

दिनांक: २५ अक्टूबर, २०२१

// कार्यालय-ज्ञाप //

मा० कार्य परिषद की ३५वीं बैठक दिनांक ०७.१०.२०२१ में बिन्दु संख्या-९/३५ में विश्वविद्यालय के "शिक्षकवृन्द, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आचरण, व्यवहार एवं अनुशासन बनाये रखने के लिए उ० प्र० सरकारी कर्मचारी की आचरण नियमावली, १९५६ एवं उ० प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, १९९९ को अंगीकृत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।"


तत्क्रम में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि मा० कार्य परिषद द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकवृन्द, अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु उ० प्र० सरकारी कर्मचारी की आचरण नियमावली, १९५६ एवं उ० प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, १९९९ को अंगीकृत किया जाता है।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. मा० कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
२. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
३. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
४. समस्त अधिकारीगण, विश्वविद्यालय।
५. समस्त कर्मचारीगण, विश्वविद्यालय।
६. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
७. गार्ड फाइल।


(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव